कमला हत्याकांड का पर्दाफाश, पड़ौस में रहने वाली युवती ने की थी हत्या

युवती ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था

नसीराबाद सदर थाना पुलिस आरोपी महिला संजू को अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंची।

- हत्या में काम लिये हथियार पुलिस ने घटना वाले दिन ही मौके से बरामद कर लिए थे
- पुलिस आरोपी से गहने व अन्य सामग्री की बरामदगी के प्रयास कर रही है

अजमेर, (कासं)। नसीराबाद पुलिस थाना क्षेत्र अन्तर्गत ग्राम भटियानी में 65 वर्षीय कमला जाट नाम की महिला की दिनदहाड़े गला रेत कर निर्मम हत्या करने की आरोपी मृतका के घर के सामने रहने वाली संजू प्रजापत निकली। युवती ने अपने महंगे शौक पूरे करने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया था। अदालत ने आरोपी महिला को तीन दिन की पुलिस अभिरक्षा में सौंपा है। आरोपी से गहने व अन्य सामग्री की बरामदगी की जानी है।

पुलिस अधीक्षक वंदिता राणा ने मंगलवार को इस मामले से पर्दा उठाते हुए बताया कि हत्या की आरोपी संजू प्रजापत को पुलिस ने पकड़ लिया है। आरोपी महिला ने मौज-शौक पूरे करने के लिए पैसों की तंगी के कारण अपने घर के सामने वृद्ध महिला को ही आसान निशाना बनाया। आरोपी महिला यह जानती थी कि महिला कब अकेली रहती है। उसने उसके शरीर पर पहने जेवर लूटने के लिए उसकी हत्या कर दी। हत्या में उपयुक्त हथियार पुलिस ने घटना वाले दिन ही मौके से बरामद कर लिए थे। पुलिस मामले में आगे जांच कर रही है। वहीं इससे पहले नसीराबाद सदर थाना पुलिस मंगलवार को माकूल सुरक्षा व्यवस्था के बीच हत्या की आरोपी महिला संजू को अजमेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय लेकर पहुंची थी।

गौरतलब है कि हत्या की वारदात एक मार्च को दिनदहाड़े हुई थी। घर में अकेली महिला की कैंची से गला रेत कर हत्या कर महिला के गले से सोने व चांदी के कड़े और जेवर उतार कर ले जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया था। घटना से गांव में कोहराम मच गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतका का शव बरामद किया और मामले की गहराई से जांच शुरू कर दी। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे व अन्य माध्यम से टीम गठित कर मामले की जांच की। घटना के बाद ग्रामीणों ने गांव में धरना देना शुरू कर दिया। आरोपी को पकड़े बिना लोग मृतका का पोस्टमार्टम व दाह संस्कार नहीं कराने पर अड़ गए। आखिर गांव में ग्राम पंचायत के सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाने तथा हत्यारों को शीघ्र पकड़ने की बात सहित सरकारी नियमानुसार मुआवजा राशि दिलाये जाने की बात पर ग्रामीणों ने प्रशासन की समझाइश से सहमत होकर धरना समाप्त किया था।

संदिग्ध कबाड़ियों के गोदामों पर छापा मारा, हड़कंप मचा

कबाड़ियों के पास कागजात नहीं मिलने पर 10 दुपहिया वाहनों को थाने पर लाकर खड़ा किया।

- पुलिस ने कबाड़ियों को चोरी का माल नहीं खरीदने की हिदायत दी

कोटा, (निसं)। शहर के अलग-अलग थाना इलाकों में पुलिस टीम ने शहर एसपी के निर्देश पर मंगलवार तड़के संदिग्ध कबाड़ियों के गोदामों पर छापामार कार्यवाही की। पुलिस की तड़के अचानक हुई कार्यवाही से कबाड़ियों में हड़कंप मच गया।

पुलिस टीम ने कार्रवाई के दौरान कबाड़ियों के पास कागजात नहीं मिलने पर 10 दुपहिया वाहनों को थाने पर लाकर खड़ा किया।

शहर पुलिस अधीक्षक डॉ.अमृता दुहन ने बताया कि चोरी का माल खरीदने वाले संदिग्ध कबाड़ियों को चैक करने के लिये विशेष अभियान चलाया गया। शहर एसपी ने बताया कि संदिग्ध कबाड़ियों के गोदामों को चैक करने के लिये थानो की अलग-अलग पुलिस टीमें गठित की गई।

शहर एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक गंगासहाय शर्मा के नेतृत्व में थाना भीमगंजमंडी थानाधिकारी रामकिशन गोदारा व रेलवे कॉलोनी थानाधिकारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में टीमें गठित कर संदिग्ध कबाड़ियों के गोदामों पर दबिश देकर चैक किया गया। पुलिस टीमो द्वारा कबाड़ियों के गोदाम में रखे संदिग्ध माल के बारे में जानकारी जुटाई गई व कबाड़ियों के गोदाम के आसपास घूमते हुए संदिग्धों से पूछताछ की गई। शहर एसपी ने बताया कि पुलिस टीम द्वारा कबाड़ी के दुकानदारों को चोरी का माल नहीं खरीदने की हिदायत दी गई। वहीं पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान कागज के अभाव में कार्यवाही करते हुए 10 मोटरसाईकिलों को जप्त कर भीमगंजमंडी थाने लाया गया, जिनके संदर्भ में भी जांच की जा रही है।

शहर एसपी ने बताया कि पुलिस उपअधीक्षक राजेश टेलर के नेतृत्व में रामपुरा कोतवाली व कैथूनीपोल में भी पुलिस की अलग-अलग टीमें गठित कर संदिग्ध कबाड़ियों के गोदामों पर दबिश देकर चैक किया गया। पुलिस टीम ने कबाड़ियों के गोदाम मे रखे माल की जानकारी जुटाई साथ ही कबाड़ियों के गोदाम के आसपास घूम रहे संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई। वहीं उद्योग नगर, विज्ञान नगर व बोरखेड़ा पुलिस टीमों द्वारा भी अवैध सामग्री खरीदने वाले कबाड़ियों के ठिकानों व गोदामों पर दबिश दी गई।

हिस्ट्रीशीटर वसीम की हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर ईमरान कुंजडे को उम्रकैद

- जेल में ही जग का हत्था तोड़कर उसे घिसकर नुकिला हथियार बनाया था
- मौका देखकर ईमरान कुंजडे ने नुकीले हथियार को वसीम उर्फ चूहे के सीने में घोंप दिया था

उदयपुर, (कासं)। न्यायालय परिसर में स्थित बैरक में नुकिले हथियार से हमला कर वसीम उर्फ चूहा की हत्या करने वाले हिस्ट्रीशीटर ईमरान कुंजडे को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। वहीं और 2 लाख रूपए जुर्माने की भी सजा सुनाई है।

उल्लेखनीय है कि 11 मई 2009 को वसीम उर्फ चूहा और ईमरान कुंजडा को केन्द्रीय कारागृह से अन्य बंदियों के साथ न्यायालय में पेशियों पर लाया गया था और दोनों को न्यायालय परिसर में एक बैरक में रखा हुआ था। इस दौरान मौका देखकर ईमरान कुंजडे ने अपने पास रखे नुकीले हथियार को वसीम उर्फ चूहे के सीने में घोंप दिया था। ईमरान कुंजडे ने जेल में ही जग के हत्थे को तोड़कर उसे घिस-घिसकर नुकिला हथियार बना लिया था। सीने में नुकिला हथियार घुसने से वसीम उर्फ चूहा गंभीर रूप से घायल हो गया था जिसने एमबी चिकित्सालय में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। मामले में चालानी गार्ड रोशनलाल ने भुपालपुरा थाने में प्रकरण दर्ज करवाया था।

इस मामले में सरकार ने अधिवक्ता राकेश मोगरा को वर्ष 2022 में विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया था। मामले में सुनवाई के दौरान 28 गवाह और 59 दस्तावेज पेश किए थे और 4 आर्टिकल भी प्रदर्शित किए थे। मामले में सुनवाई करते हुए एससी/एसटी कोर्ट ने मंगलवार को ईमरान कुंजडे को आजीवन कठोर कारावास और 2 लाख रूपए जुमाने की सजा सुनाई है। जुर्माने की अदम अदायगी में एक वर्ष का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा।

जोधपुर की पहली महिला महापौर डॉ. ओम कुमारी गहलोत का निधन

डॉ. ओम कुमारी गहलोत

- शव यात्रा में उमड़ा जनसैलाब, नम आंखों से अंतिम विदाई दी

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर नगर निगम बनने के बाद पहली महिला महापौर बनने वाली डॉ. ओम कुमारी गहलोत (88) का सोमवार रात को निधन हो गया। ओम कुमारी गहलोत ने सोजती गेट बेरियों मोहल्ला स्थित आवास पर आखिरी सांस ली। मंगलवार को उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। आज सुबह सोजती गेट बेरिया क्षेत्र स्थित उनके पैतृक निवास स्थान से अंतिम यात्रा रवाना हुई। महामंदिर स्थित स्वर्गाश्रम रामबाग में अंतिम संस्कार किया गया। इसमें समाज के साथ कांग्रेस व भाजपा के जनप्रतिनिधि और परिजन मौजूद रहे।

पूर्व महापौर डॉ. ओम कुमारी गहलोत लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी। कुछ समय पहले वे एम्स में भी भर्ती रही। गहलोत जोधपुर की प्रथम महिला महापौर रहीं। वे 2004 से 2009 तक महापौर रहीं। इससे पहले वह शिक्षा विभाग में असिस्टेंट डिप्टी डायरेक्टर के पद से रिटायर्ड हुई थी। डॉ. ओम कुमारी सहजता और विनम्रता के लिए जानी जाती थी। उनका नाम कभी भी विवादों में नहीं रहा। उनके कार्यकाल में ही जोधपुर पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में बने नगर निगम के खुद के नए भवन में कार्यालय शिफ्ट हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए ओम कुमारी गहलोत को श्रद्धांजलि दी है।

उपकारागृह पर पत्थर फेंकने के मामले में तीन गिरफ्तार

- घटना में काम ली बोलेरो जीप बरामद

सादुलपुर, (निसं)। रात के अंधेरे में उपकारागृह राजगढ़ में पत्थरबाजी करने तथा राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में राजगढ़ थाना पुलिस ने मंगलवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तथा घटना के काम में ली गई बोलेरो जीप को भी जप्त किया।

थाना अधिकारी राजेश कुमार सिहाग ने बताया कि घटना के बाद जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में तथा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में एक टीम का गठन किया। तथा टीम ने सीसीटीवी कैमरा को खंखाल कर आरोपियों की पहचान करने का प्रयास शुरू कर दिया था। उन्होंने बताया कि मामले में आरोपी अमित कुमार पुत्र बाबूलाल स्वामी निवासी माणोता कला पुलिस थाना खेतड़ी जिला झुंझुनू हाल हमीरवास तथा जोगेंद्र पुत्र अमर सिंह राजपूत निवासी भोजाण पुलिस थाना हमीरवास व सन्टी पुत्र राम सिंह जाट निवासी नवां पुलिस थाना हमीरवास को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना के काम में ली गई बोलेरो जीप को बरामद की।

थाना अधिकारी सिहाग ने बताया कि मामले में आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर लेंगे, इसके बाद मामले में शामिल अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाएगी।

ग्राम हरिनगर को बीदासर में शामिल नहीं करने की मांग

बीदासर, (निसं)। राजस्व ग्राम हरिनगर को बीदासर नगर पालिका में शामिल नहीं करने को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने बीदासर पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत व जिला परिषद सदस्य गीता देवी स्वामी के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए जिला कलेक्टर के नाम के अलग-अलग ज्ञापन उपखंड अधिकारी अमीलाल यादव को सौंपा।

पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत व हरिनगर के ग्रामीणों द्वारा दिए गए कलेक्टर के नाम के ज्ञापन में लिखा है कि राजस्व ग्राम हरिनगर तहसील बीदासर को नगर पालिका क्षेत्र में शामिल करने बाबत आप द्वारा स्थानीय प्रशासन द्वारा चाहा गया है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया है कि अगर राजस्व ग्राम हरिनगर को बीदासर नगर पालिका में शामिल किया गया, तो हमारे द्वारा बड़ा जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन देने वालों में पालिका अध्यक्ष सीताराम प्रजापत के साथ भाजपा नेता रामचंद्र गढ़वाल, जोधाराम पोटलिया सहित अनेक ग्रामीण उपस्थित थे।

आरएएस ने एक रुपया और नारियल लेकर शादी की

सुरेंद्र कुमार (आरएएस अधिकारी) व डॉ. रजनी (वरिष्ठ अध्यापक)।

रतनगढ़, (निसं)। जिलोवा (नीम का थाना) सीकर निवासी स्व. मानसिंह जिलोवा के बेटे सुरेंद्र कुमार (आरएएस अधिकारी) की शादी सुलखानिया रतनगढ़ (चूरू) निवासी रामकुमार मेघवाल की पुत्री डॉ. रजनी (वरिष्ठ अध्यापक) के साथ 25 फरवरी को सम्पन्न हुई थी, जिसमें दहेज प्रथा जैसी पुरानी सोच से परे शून्य दहेज पर एक रुपया और नारियल लेकर शादी सम्पन्न करवाई गई।

दोनों पक्षों द्वारा की गई इस सार्थक पहल की प्रशंसा समाज और समारोह में उपस्थित सभी गणमान्य लोगों ने की। समारोह में पूर्व प्रधान संतोष तालणियां, अशोक आलड़िया, समाजसेवी व्याख्याता रिखाराम तालणियां, सरपंच दिलीप सिहाग, पूर्व सरपंच मोहनलाल सूबेदार व श्रवण कुमार दैया, एडिशनल एसपी विजय कुमार जिलोवा और दोनों पक्षों के परिवार सदस्य मौजूद रहे।

डेढ़ लाख की शराब बरामद, एक गिरफ्तार

डूंगरपुर, (निसं)। बिछीवाड़ा पुलिस ने शराब तस्करी पर कार्रवाई करते हुए डेढ़ लाख की अवैध शराब पकड़ी। पुलिस ने शराब तस्करी के आरोप में ट्रैक्टर ड्राइवर को गिरफ्तार किया है।

बिछीवाड़ा थानाधिकारी ने बताया कि नेशनल हाईवे 48 पर राजस्थान-गुजरात बॉर्डर के पास रतनपुर में पुलिस ने नाकाबंदी की थी। इसी दौरान एक हरियाणा नंबर की ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोका गया। ट्रॉली की जांच में पुलिस को एक गुप्त केबिन मिला। इसमें अलग-अलग बॉक्स बनाकर चंडीगढ़ निर्मित शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने 45 कार्टन शराब बरामद की, जिसकी कीमत करीब 1 लाख 50 हजार रुपए है। उन्होंने बताया कि कार्यवाही में हरियाणा के पानीपत जिले के कलियानां गांव निवासी ट्रैक्टर चालक सुंदर गुर्जर को गिरफ्तार किया गया है। वह शराब को गुजरात में तस्करी के लिए ले जा रहा था। फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है। गौरतलब है कि पुलिस ने शराब तस्करी के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। वहीं,तस्कर लगातार नए-नए तरीके अपना रहे हैं।

चोरी के मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी की वारदातों का खुलासा किया।

पावटा, (निसं)। प्रागपुरा थाना क्षेत्र के पावटा, प्रागपुरा में लाखों रुपए चोरी के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनका प्रागपुरा कस्बे में जुलूस निकाला। प्रागपुरा थाना पुलिस बदमाशों को प्रागपुरा कस्बा लेकर पहुंची। मौका तस्दीक करवाई। आरोपियों को प्रागपुरा कस्बे के मुख्य मार्गो से पैदल घुमाया गया।

कार्रवाई के तहत दिन के समय रेकी कर रात्रि के समय सूने घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाली गैंग का पर्दाफाश करते हुए, अभियुक्त अमीचंद सैनी व विजय गोठवाल उर्फ लाला को गिरफ्तार किया। वृताधिकारी वृत्त विराटनगर शिप्रा राजावत ने बताया कि प्रागपुरा थाने के रहने वाले सुभाष चंद पुत्र राधेश्याम अग्रवाल ने प्रागपुरा थाना पुलिस में मामला दर्ज करवाते हुए बताया कि पूरा परिवार 5 फरवरी को कुंभ के लिए गए हुए थे। जिस पर पीछे से चोरों ने सुनसान घर देखकर उसे निशाना बनाते हुए महंगे जेवरात व 12 लाख नकदी सहित अन्य सामान पर हाथ साफ कर दिया।

वहीं पावटा राठी कॉलोनी निवासी अशोक गुप्ता ने मामला दर्ज करवाया था कि मकर संक्रांति पर्व पर खाटूश्याम दर्शन के लिए घर से बाहर गए हुए थे। उन्होंने घर पर ताला लगाया हुआ था। इसके बाद जब वो रात को घर पहुंचे तो उन्हें घर का ताला टूटा मिला। चारों ओर सामान बिखरा हुआ था। पीड़ित मातादीन गुप्ता ने बताया उनके घर में बेटियों की शादी के लिए पाई पाई जोड़ कर खरीदे सोने-चांदी के गहने व 10 लाख रुपए नकदी रखे हुए थे। सोने-चांदी के गहनो की कीमत लाखों रुपये के आस पास थी। चोर सब ले उड़े।

वहीं 3 दिसंबर 2024 को परिवादी राजेंद्र प्रसाद पुत्र धूकलराम जाट निवासी गंडावा थाना पिलानी जिला झुंझुनू हाल निवासी प्रभात कॉलोनी पावटा ने मामला दर्ज करवाया था कि मेरी पत्नी शनिवार 30 नवंबर 2024 को मेरे पास नसीराबाद आ गई थी। पीछे से रविवार रात को मेरे मकान का ताला तोड़कर चोर चोरी कर ले गए। जिस पर गठित प्रागपुरा थाना पुलिस टीम व साइबर सेल ने घटना का खुलासा करते हुए अभियुक्त अमीचंद सैनी पुत्र हनुमान सैनी व विजय गोठवाल उर्फ लाला पुत्र सीताराम मेघवाल को दिल्ली से दस्तयाब कर गिरफ्तार किया।

जुआ के खिलाफ कार्रवाई, दो गिरफ्तार

खेतड़ी पुलिस ने जुआ खेलते दो जनों को गिरफ्तार किया।

खेतड़ी, (निसं)। खेतड़ी पुलिस ने जुआ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 28 हजार रुपए बरामद किए हैं।

थानाधिकारी गोपालनाल जांगिड़ ने बताया कि थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने को लेकर पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान पुलिस को सूचना मिली थाना क्षेत्र के नानूवाली बावड़ी में सार्वजनिक स्थान पर कुछ लोग जुआ खेल रहे हैं। इस दौरान एक विशेष टीम का गठन कर कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने नानूवाली बावड़ी में सार्वजनिक स्थान पर दबिश देकर आमली वाली ढाणी तन नानूवाली बावड़ी निवासी दाताराम सैनी पुत्र रामलाल, कन्हैयालाल को हिरासत में लेकर तलाशी ली गई तो उनके पास 28 हजार रुपए नकद तथा ताशपत्ती पाई गई। जब पुलिस ने उनसे पूछताछ की तो वह कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास मिले रुपए जब्त कर लिए।

बजरी परिवहन करते तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

बौंली-बामनवास, (निसं)। सवाई माधोपुर जिला पुलिस अधीक्षक ममता गुप्ता के निर्देशन में चलाए जा रहे अवैध बजरी खनन, परिवहन एवं निर्गमन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए बौंली थाना प्रभारी राधारमण गुप्ता के नेतृत्व में गठित टीम ने तीन ट्रैक्टर ट्राली को जब्त किया है, इस दौरान चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। बौंली थाने के हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र चौधरी ने बताया कि 3 मार्च मंगलवार को खिरनी पुलिस चौकी के सहायक उप निरीक्षक मुरारी लाल व पुलिस टीम को सूचना मिली की बनास नदी से अवैध बजरी खनन परिवहन व निर्गमन कर रहे तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली बनास नदी की तरफ से जटावती की तरफ आ रहे हैं, सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तीन ट्रैक्टर ट्रोलिया जटवती की ओर आती नजर आई, पुलिस टीम वाहन को देखकर चालक ट्रैक्टर ट्राली छोड़कर भाग गए। पुलिस टीम ने ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर उनके चालकों व मालिकों के विरुद्ध अभियोग दर्ज किया है। बजरी की जब्त कर सूचना पृथक माइनिंग विभाग को दे दी गई है।

नीमकाथाना जिला पुनः बहाल करने की मांग, भूख हड़ताल और प्रदर्शन जारी

नीमकाथाना को पुनः जिला बनाने की मांग को लेकर धरना जारी रहा।

- प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और स्पष्ट किया कि नीमकाथाना जिला पुनः बहाल होकर रहेगा

पाटन, (निसं)। नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग को लेकर नीमकाथाना के वार्ड नं. 31 में क्रमिक भूख हड़ताल और धरना जारी रहा।

दशरथ सैन, परसाराम सैनी, बंशी सैनी, रामेश्वर, कृष्ण सैनी (पार्षद), उकार सैनी, अर्जुनलाल सैनी, रूड़मल सैनी, कालू सैनी, तीजा देवी, मनोहरी देवी, परमश्वरी देवी, सुगनी देवी, मिश्री देवी, लक्ष्मी देवी और गोठी देवी सहित कई नागरिकों ने धरने में भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और स्पष्ट किया कि नीमकाथाना जिला पुनः बहाल होकर रहेगा। इस प्रदर्शन में बच्चों और महिलाओं ने भी भाग लेकर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सभी ने एक स्वर में सरकार के इस निर्णय को अन्यायपूर्ण बताते हुए इसके खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया।

पार्षद कृष्ण सैनी ने कहा कि सरकार ने अन्यायपूर्वक नीमकाथाना जिले को निरस्त किया है, जिससे आम जनता में गहरा आक्रोश है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब नीमकाथाना जिले के सभी मापदंड पूरे थे, तो इसे क्यों निरस्त किया गया? उन्होंने सरकार पर राजनीतिक दुर्भावना के तहत यह निर्णय लेने का आरोप लगाया और कहा कि जनता इस अन्याय का ब्याज समेत जवाब देगी।

नगर परिषद के उप सभापति महेश मैगोतिया ने कहा कि यह सिर्फ प्रशासनिक फैसले के खिलाफ आंदोलन नहीं है, बल्कि सरकार को यह संदेश देने का भी प्रयास है कि उसे जनभावनाओं का सम्मान करना चाहिए। यदि सरकार इस मुद्दे को नजरअंदाज करती रही, तो जनता का आक्रोश और तेज होगा, जिसका असर पूरे राज्य की राजनीति पर पड़ेगा। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से जल्द से जल्द नीमकाथाना को पुनः जिला घोषित करने की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार इस मांग को अनसुना करती रही, तो पूरे सीकर संभाग में असंतोष की लहर उठेगी, जिससे सरकार की छवि धूमिल होगी। इस आंदोलन का बच्चु खाँ, मंजीत खाँ, महेश सैनी, कानजी, श्योपाल, सुरेश, कालू, संतरा देवी, धर्मा देवी, सजना देवी सहित कई लोगों का समर्थन मिला। इस मौके पर जिला समिति सदस्य मदनलाल सैनी, महेश मैगोतिया, मालाराम सैनी, गोपाल सैनी, लीलाराम सैनी, बसंत यादव, राजेन्द्र आर्य और मीडिया प्रभारी नरेश टेलर उपस्थित रहे।